



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण, 1945 (श०)

संख्या - 495 राँची, सोमवार,

21 अगस्त, 2023 (ई०)

#### गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

अधिसूचना

18 जुलाई, 2023

**संख्या-05/एफ-03/29/2012-4042**--भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन एवं झारखण्ड फायर सर्विस एक्ट, 1948 की धारा-22 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) में संशोधन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ:-

- यह नियमावली "झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2023" कहलाएगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य होगा ।
- यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के अनुसूची-II, के क्रमांक-01 (क) (i) में निम्नांकित प्रावधान है:-

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।"

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

**उक्त प्रावधान को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है-**

"अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।"

3. झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अवर सेवा संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**(रविशंकर विद्यार्थी),**

सरकार के संयुक्त सचिव।

-----